

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प

इंदौर के समक्ष

Res No 9072-116

प्रकरण क्रमांक आर-2954/पी.बी.आर./धार

हेमसिंह पिता रूगनाथ एवं अन्य 1

-निगरानीकर्ता

विरुद्ध

हरिसिंह पिता उम्मेदसिंह

-प्रत्यर्थी

आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अंतर्गत

निगरानीकर्ता की विनम्र प्रार्थना है कि :-

1. यह कि, निगरानीकर्ता के द्वारा ग्राम बरदरी तहसील व जिला धार के राजस्व प्रकरण 59/2015-16/अ-12 के विरुद्ध एक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2. यह कि, निगरानी आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक सुनवायी हेतु नियत थी।

3. यह कि, निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्री अनुराग व्यास उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में किसी अन्य प्रकरण में गये होने से प्रकरण में पैरवी करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। अतः माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सदर आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवायी में लिये जाने बाबाद् आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

इंदौर,

प्रस्तुतकर्ता

दिनांक: 15/11/2016

*Ajay*

निगरानीकर्ता तर्फे अभिभाषक

*Ajay*

श्री अनुराग व्यास  
अभिभाषक  
15/11/16  
3 PM

Noted  
17/01/2017

Ajay  
15/11/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 9072-पीबीआर/16

जिला धार


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

17-1-2017

आवेदक की ओर से श्री अनुराग ब्यास, अभिभाषक  
उपस्थित उपस्थित । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पर सुना  
गया । रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है ।  
मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 2954-पीबीआर/16  
पुनःस्थापित किया जाये । रेस्टोरेशन प्रकरण समाप्त हो ।



  
अध्यक्ष